

एनएसजी सहकारी आवास समिति लिमिटेड
(रजिस्ट्रेशन संख्या 2213/96)
प्लॉट नं0 2, पॉकेट-6, बिल्डरस एरिया, ग्रेटर नोएडा-201310

फा.सं. एनएसजी एसएस/पार्क/2023-2024/305

दिनांक: 25 दिसम्बर, 2023

विवाह व अन्य समारोहों हेतु एनएसजी समिति पार्कों की बुकिंग के नियम और शर्तें -
मानक संचालन प्रक्रिया(SOP)

प्रस्तावना :

एनएसजी समिति, ग्रेटर नोएडा में सर्वोत्तम प्रबंधन और पैमाने पर निवास करने वाली सोसायटी में से एक के रूप में उभरी है । सोसायटी अपने परिसर के भीतर मौजूद सुविधाओं के साथ इसे वास्तव में एक आत्म-संतुष्ट टाउनशिप बनाती है ।

उद्देश्य:

समिति का मूल उद्देश्य समिति के समस्त सदस्यों एवं आश्रितों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना है ।

बुकिंग अवधि:

पार्क को अधिकतम एक दिन (24 घंटे) की अवधि के लिए किराये पर दिया जाएगा । विवाह व अन्य समारोहों का समय 08.00 बजे पुर्वाहान से अगले दिन 8.00 बजे पुर्वाहान तक होगा ।

भुगतान की राशि :

पार्क-ए	- रुपये 5000/-
पार्क-बी	- रुपये 3000/-
पार्क-बी तिकोना/सी	- रुपये 2000/-

घरोहर राशि

उपरोक्त पार्कों की किराये की राशि के अलावा रुपये 4000/-(चार हजार रूपया) घरोहर राशि के रूप में जमा कराना होगा जो कि समारोह उपरांत पार्क की सफाई, क्षति एवं अतिरिक्त शुल्क यदि कुछ हो आदि का समायोजन कर लौटाई जायेगी ।

.....2/-




भुगतान का तरीका:

पार्क की बुकिंग करवाने हेतु समिति द्वारा निर्धारित की गई धनराशि एवं धरोहर राशि को अध्यक्ष, महोदय के अनुमोदन उपरांत चेक या ऑनलाइन द्वारा जमा कराकर इसकी रसीद लेखापाल से लेनी होगी।

पार्कों की बुकिंग के लिए दस्तावेजों की सूची

1. निर्धारित प्रारूप में विधिवत भरा हुआ आवेदन ।
 2. आईडी प्रूफ
 3. शादी का कार्ड एवं प्रोग्राम का प्रारूप आदि ।
2. पार्क की बुकिंग के लिए हालांकि सटीक मानदंड निर्धारित करना संभव नहीं है फिर भी निम्नलिखित दिशानिर्देश महत्वपूर्ण रूपरेखा तैयार करते हैं । इन्हें सोसाईटी के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है :-
- क. पार्क की बुकिंग करवाने से पूर्व, समिति सदस्य/सदस्या को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके प्रति समिति की किसी भी प्रकार की कोई देनदारी शेष नहीं है, उसके उपरांत ही सदस्य/सदस्या के निर्धारित आवेदन-पत्र पर विचार किया जाएगा ।
- ख. निर्धारित आवेदन-पत्र पर पार्क की जगह, बुकिंग का प्रायोजन, किसके लिए स्पष्टतौर पर लिखना होगा ।
- ग. पार्क की बुकिंग "पहले आओ और पहले पाओ आधार" पर होगी ।
- घ. पार्क को बुक करवाने में समिति सदस्यों को वरियता दी जाएगी ।
- ङ. समिति या पार्क में लगे विद्युत अथवा विद्युत उपकरणों का प्रयोग करना सख्त वर्जित होगा ।
- च. पार्क में लगी पानी की मोटर का उपयोग, खाना पकाने और कौकरी/बर्तन आदि धोने के उद्देश्य से करने की अनुमति नहीं होगी ।
- छ. रात्रि 10.00 बजे तक संगीत/बैंड आदि बजाने की अनुमति होगी । यह सुनिश्चित करने के लिए कि परिसर के निवासियों को कोई परेशानी या असुविधा न हो, समारोह के दिन कम ध्वनि का उपयोग करना ।
- ज. समारोह में आने वाले भारी वाहन एवं बसें आदि समिति के गेट के बाहर ही पार्क होंगे ।

.....3/-



झ. सोसाईटी परिसर में आए छोटे वाहनों की विधिवत पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा ताकि सोसाईटी निवासियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े ।

त्र. पार्को को निर्धारित समय में ही पूरी तरह खाली करना होगा, अन्यथा अतिरिक्त शुल्क देय होगा जिसकी धरोहर राशि से कटोती की जाएगी ।

ट. बुकिंग समिति सदस्य/सदस्या यह सुनिश्चित करेंगे कि हलवाई/टेंट आदि से संबंधित कार्यकर्ताओं द्वारा समिति के निवासियों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार ना हों । इसके अतिरिक्त टेंट/सामग्री आदि वाहनों से उतारते/चढ़ाते वक्त तेज आवाज ना हो ।

ठ. कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना बुकिंग समिति सदस्य/सदस्या की जिम्मेदारी होगी। बुकिंग समिति सदस्य/सदस्या यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा एवं उनके समारोह में सम्मिलित गण किसी भी तरह से परिसर की शांति और स्थिरता का उल्लंघन नहीं करेंगे ।

ड. समारोह के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा या चोरी के लिए प्रबंधन जिम्मेदार नहीं होगा ।

ढ. सोसायटी परिसर मे कूड़ा फ़ैलाना सख्त वर्जित होगा ।

ण. सोसायटी परिसर में पटाखों, आग्नेयास्त्रों ओर हथियारों की अनुमति नहीं होगी ।


त. समिति परिसर में, शराब, धूम्रपान, थूकना, पान, गुटका और अन्य तम्बाकू उत्पाद सख्त वर्जित होंगे ।

थ. उपयोगकर्ता/बुकिंगकर्ता किसी भी कारण से होने वाली क्षति के लिए पूर्णतया स्वयं जिम्मेदार होगा ।

द.उपयोगकर्ता द्वारा किराए पर लिया गया जनरेटर यदि कोई हो तो वह प्रो ग्रीन जनरेटर होना चाहिए ।

ध. पार्क परिसर में विशेष क्षेत्र यदि कोई हो का उपयोग प्रतिबंधित होगा ।

न. समिति के पास जनहित में बिना कोई भी कारण बताए बुकिंग रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा ।


(दान सिंह बथवाल)
सचिव

सेवा में,

अध्यक्ष,
एनएसजी सहकारी आवास समिति लि०,
पॉकेट-06, बिल्डर्स एरिया,
ग्रेटर नोएडा -201310 ।

महोदय,

मैं-----सोसायटी का निम्नलिखित पार्क बुक करवाना
चाहता/चाहती हूँ (कृप्या सही का निशान लगाएं) :-

- क. पार्क - ए
- ख. पार्क - बी
- ग. पार्क - बी (तिकोना पार्क)
- घ. पार्क - सी

2. मेरा पूर्ण विवरण निम्न प्रकार से है :-

- क. नाम-----
- ख. पता-----
- ग. मोबाईल नं०-----
- घ. बुकिंग का उद्देश्य-----
- ड. बुकिंग की तारीख-----कब से-----कब तक-----
- च. आमंत्रित व्यक्तियों की अनुमानित संख्या-----
- छ. पहचान प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया(स्वप्रमाणित)-----

नोट:-बुकिंग केवल एक दिन (24 घंटे) की ही होगी, यदि एक से अधिक दिनों का प्रोग्राम हो तो, किराये की राशि तदनुसार देनी होगी ।

3. मैं, सोसाईटी के मानक संचालन प्रक्रिया(SOP) में निर्देशित नियमों एवं शर्तों को ठीक प्रकार से पढ़ लेने और समझ लेने के उपरांत ही पार्क-----की बुकिंग कर रहा हूँ ।

भवदीय,

दिनोंक:-----

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

स्थान :-----